(10)

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 30 नवंबर 2013

विषयः–दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में स्नातक उपयंत्री (सिविल) से सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.11.2013 का कार्यवाही विवरण।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :–

1.	प्रो.एन.के. तनेजा सदस्य म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर	अध्यक्ष
2.	श्री राधेश्याम जुलानिया प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
3.	श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
4.	श्री टी.एस.डाबर, अधीक्षण यंत्री, कार्यालय परियोजना प्रशासक, कमाण्ड क्षेत्र विकास,जल संसाधन विभाग,	सदस्य (म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम–11 के प्रावधान अनुसार)

1. प्राधिकार एवं सिद्धान्त :–

यह चयन मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1968 सहपठित मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। पदोन्नतियां वरिष्ठता–सह–योग्यता (सीनियारिटी–कम–मैरिट) के सिद्धान्त पर आधारित है।

2. न्यायालयीन स्थगन :–

इस चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन नहीं है।

3. वरिष्ठता एवं पदकम सूची :–

उपयंत्री (सिविल) की 1.4.2012 की स्थिति में जारी पदक्रम सूची को पदोन्नति का आधार बनाया गया है। इस वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन अथवा ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है जिसके पालन के अभाव में बैठक किया जाना युक्तियुक्त न हो ।

30.11.13 30.11.13

4. **अर्हकारी सेवा :–**

पदोन्नति के लिए उन्हीं उपयंत्रियों (सिविल) के नामों पर विचार किया गया, जिन्होंने विभाग के भरती नियमों के अनुसार उपयंत्री (सिविल) के पद पर दिनांक 1.1.2012 की स्थिति में स्नातक उपयंत्री के रूप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।

5. **विचार क्षेत्र :–**

म.प्र. लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के नियम 6 के अनुसार वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता पर आधारित पदोन्नतियों के संबंध में कोई विचार क्षेत्र नहीं है । वरिष्ठता कम के अनुसार अर्हता प्राप्त अधिकारियों के नाम उस सरल कमांक तक देखे गये जिस कमांक तक वांछित उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध हो गए।

पदोन्नति हेतु स्नातक उपयंत्री (सिविल) के वरिष्ठता निर्धारण के मापदंड निम्नानुसार निर्धारित किये गये :–

(i) जिन उपयंत्रियों ने विभाग में उपयंत्री के पद पर नियुक्ति के पूर्व अभियांत्रिकी की स्नातक उपाधि प्राप्त की है उनकी परस्पर वरिष्ठता उनके उपयंत्री के पद पर नियुक्ति के अनुसार रखी गई है।

(ii) जिन उपयंत्रियों ने उनकी उपयंत्री के पद पर नियुक्ति के उपरांत अभियांत्रिकी की स्नातक उपाधि प्राप्त की है उनकी परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :–

(अ) जिस वर्ष में उपयंत्री ने अभियांत्रिकी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, उस वर्ष में स्नातक उपयंत्री की वरिष्ठता सूची में उसे स्नातक उपयंत्रियों के अंत में रखा गया है।

(ब) जिस वर्ष विशेष में एक से अधिक डिप्लोमा उपयंत्रियों ने अभियांत्रिकी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उस वर्ष विशेष में स्नातक उपयंत्री की वरिष्ठता सूची में ऐसे वर्ष के अंत में रखते समय उनकी डिप्लोमा होल्डर उपयंत्री की परस्पर वरिष्ठता को बनाए रखा गया है।

6. **संनिष्ठा प्रमाण पत्र**

विचार क्षेत्र में सम्मिलित अधिकारियों की संनिष्ठा उनके गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा प्रमाणित की गई है ।

30.11.13

7. पदोन्नति की कसौटियां तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के संदर्भ में वर्गीकरण :–

(i) **न्यूनतम कसौटी :–**

(अ) संनिष्ठा संदेह से परे हो ।

(ब) विगत 05 वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन समग्र रूप से "अच्छी" श्रेणी से कम का नहीं हो, अर्थात न्यूनतम 10 अंक हों।

(स) अंतिम वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन औसत से कम श्रेणी का न हो।

(ii) **गोपनीय रिकार्ड का समग्र वर्गीकरण :–**

(अ) विगत 05 वर्षों का समग्र मूल्यांकन "अच्छी" श्रेणी से कम नहीं हो।

(ब) जिन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है उन मामलों में विचार के लिए पूर्व के वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन देखकर समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया।

8. **रिक्तियों की गणना :–** दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में सहायक यंत्री (सिविल) के 241 रिक्तियां है जिसमें स्नातक उपयंत्री कोटे से सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित कोटा 10 प्रतिशत के मान से कुल 24 रिक्तियां है। निर्धारित आरक्षण रोस्टर के आधार पर संवर्गवार रिक्तियां निम्नानुसार है, जिनके लिए पदोन्नति समिति ने विकास किया:–

अनारक्षित	अनुसूचित जाति (16%)	अनुसूचित जनजाति (20%)
15	04	05

9. **पदोन्नति समिति की अनुशंसाएं:–**

कंडिका 7 में निर्धारित किये गये मापदण्डों के आधार पर समिति की अनुशंसाऐं निम्नानुसार हैं :–

9.1 **<u>अनारक्षित वर्ग</u>**

9.1.1 पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अधिकारी

स.क्र.	डिग्री प्राप्त करने का वर्ष	दि.01.04.12 की स्थिति में पदकम क.	अधिकारी का नाम
1	1989	4198	श्री अशोक गुवालानी
2	1994	2683	श्री गुलशेर अहमद
3	1995	4196	श्री आनंद कुमार त्रिपाठी
4	1995	3648	श्री ज्योति प्रकाश आनंद
5	1995	4664--09	श्री बृजमोहन ऋषिश्वर
6	2002	2166	श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा
7	2002	3256	श्री भगवती प्रसाद शर्मा
8	2002	3340	श्री संजय श्रीवास्तव
9	2002	3830	श्री प्रमोद कुमार पटवा
10	2003	189	श्री कमल किशोर मौर्य
11	2003	846	श्री वीरेन्द वीर पाठक
12	2003	1494	श्री शालिगराम बिलथरिया
13	2003	1593	श्री सुरेश कुमार चौरसिया
14	2003	1574	श्री रवीन्द्र कुमार मार्तण्ड
15	2003	1783	श्री आलोक कुमार शर्मा

30.11.13

9.1.2 पदोन्नति हतु उपयुक्त पाए गए अधिकारियों की–प्रतीक्षा सूची

स. क्र.	डिग्री प्राप्त करने का वर्ष	दि.01.04.12 की स्थिति में पदकम क.	अधिकारी का नाम
1	2003	1945	श्री सुमन सिंह चौहान
2-	2003	1973	श्री अजीज बेग

9.1.3 परिभ्रमण –प्रतीक्षा सूची

स. क्र.	डिग्री प्राप्त करने का वर्ष	दि.01.04.12 की स्थिति में पदकम क.	अधिकारी का नाम	कारण
1	2003	2647	श्री मुकेश कुमार गंगराड़े	मार्च 2011 एवं 2012 का गो.प्र. अनुपलब्ध
2-	2003	2734	श्री दुर्गा सिंह दांगी	वर्ष 2012 का गो.प्र.अनुपलब्ध

9.1.4 प्रतीक्षा सूची–बन्द लिफाफे की अनुसंशा –

स. क्र.	डिग्री प्राप्त करने का वर्ष	दि.01.04.12 की स्थिति में पदकम क.	अधिकारी का नाम	कारण
1	2003	2845	श्री बलराम सिंह सिकरवार	विभागीय जांच प्रचलित

9.1.5 अनुपयुक्त पाये गये अधिकारी – निरंक

9.1.6 ऐसे नाम जिन पर विचार नहीं किया गया –

स. क्र.	डिग्री प्राप्त करने का वर्ष	दि.01.04.12 की स्थिति में पदकम क.	अधिकारी का नाम	कारण
1	1980	6805	श्री चन्द्रकांत जगताप	सेवानिवृत्त होने कारण
2.	2011	1377	सुरेन्द्र कुमार चौरसिया	Not eligible Not considered

9.2 **अनुसूचित जनजाति**

9.2.1 पदोन्नति हेतु योग्य पाये गये अधिकारी

स.क्र.	डिग्री प्राप्त करने का वर्ष	दि.01.04.12 की स्थिति में पदकम कमांक	अधिकारी का नाम
1	2003	4211–ए	श्री बालूसिंह चौहान
2	2003	4217	श्री देवेन्द्र सिंह परमार
3	2003	4229	श्री जोहन सिंह बघेल
4	2003	4231	श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल

9.2.2 परिभ्रमण सूची

स.क्र.	डिग्री प्राप्त करने का वर्ष	दि.01.04.12 की स्थिति में पदकम कमांक	अधिकारी का नाम	कारण
1	2003	4230	श्री धनेन्द्र कुमार उइके	मार्च 10,11 एवं 12 का गो.प्र. अनुपलब्ध

9.2.3 **परिभ्रमण प्रतीक्षा सूची---**

स. क्र.	डिग्री प्राप्त करने का वर्ष	दि.01.04.12 की स्थिति में पदक्रम क्र.	अधिकारी का नाम	कारण
1	2003	4234	श्री शेर सिंह क्लेश	मार्च, 09,10,11,12 का गो. प्र. अनुपलब्ध
2	2003	4235	श्री सुनील गिरवार	गोपनीय फोल्डर अनुपलब्ध

9.2.4 **बंद लिफाफे की अनुशंसा –निरंक**

9.3 **अनुसूचित जाति**

अनुसूचित जाति वर्ग के स्नातक उपयंत्री के रूप में 08 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण करने वाला कोई भी अर्हताधारी अधिकारी उपलब्ध नहीं पाया गया होने से सभी 04 रिक्तियों को अग्रेणित करने की अनुशंसा की गई।

(प्रो.एन.के.तनेजा)
सदस्य
लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष

(राधेश्याम जुलानिया)
प्रमुख सचिव
जल संसाधन विभाग
सदस्य

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
सदस्य

(टी. एस.डाबर)
अधीक्षण यंत्री / परियाजना प्रशासक
कमाण्ड क्षेत्र विकास,इन्दौर
सदस्य